और बांसवाड़ा में कालोनियों का निर्माण किया है जहां आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं । परन्तु कडाना, जलाशय की डूब के अन्तर्गत आने वाले गलियाकोट शहर के दाउदी बोहरा समुदाय के 300 परिवारों ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई कालोनियों में बसने से इन्कार कर दिया था । इन परिवारों के अनुरोध पर, उन्हें दरगाह के निकट जुई तलाई कालोनी में आवासीय भूखंड आवंटित किए गए थे । विस्थापित परिवारों द्वारा इस कालोनी में मकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है । उन्होने अक्तूबर, 1978 में राज्य सरकार से सीमेट का विशेष कोटा देने का अनुरोध किया था । राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस्पात के आवटन के लिये इन परिवारों द्वारा कोई अनुरोध नही किया गया था । जिला प्रशासन द्वारा सिविल कोटे मे से उन्हे सप्लाई किए गए सीमेंट के अलावा राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1979 मे उन्हे 300 मीट्रिक टन सीमेट आवंटित किया गया है ।

सूचित किया गया है कि इन मकानो के निर्माण की प्रगति इस कारण धीमी है कि राज्य सरकार की इस सलाह को न मान कर कि घरों का निर्माण चूने के मसाले से किया जाए, वे बडे बडे मकान बना रहे हैं जिन के लिये सीमेंट की काफी अधिक मात्रा की आवश्यकता है और सीमेट की सप्लाई कम है ।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गलियाकोट के 850 विस्थापितो को गलियाकोट शहर खाली करने के नोटिस दिए गए है क्योकि उन की सम्पत्तियां पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है और उन्हें उन का मुआवजा और रहने के वैकल्पिक स्थान दे दिए गए हैं । दाउदी बोहरा समुदाय, के 300 परिवारो के पास दरगाह मे और उन के समुदाय की सम्पत्ति मे भी, जो ऊचे स्थान पर स्थित है, रहने का वैकल्पिक प्रबंध है । चूकि कडाना जलाशय मे जल-संचय के कारण गलियाघाट शहर के इस वर्ष जलमग्न होने की सभावना है इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगो से स्थान खाली करने के लिए कहा गया है ।

अनिर्णित पड़े मामलों के लिए एडवोकेट

6874. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सिविल मामलों तथा अन्य आय-कर अधिनियम, उत्पादन शुल्क अधिनियम, तथा लवण अधिनियम के मामलो की संख्या कितनी है जिन पर विभाग द्वारा इस समय कार्यवाही की जा रही है तथा तत्संबधी ब्यौरा क्या है और ये सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय के पास कब से अनिर्णीत पड़े है ;

(ख) सरकारी एडवोकेटों के अलावा सरकार द्वारा इन मामलों के संबंध में नियुक्त किये गये एडवोकेटों के नाम क्या हैं, और उन्हें कब नियुक्त किया गया था तथा उन्हें अब तक पारिश्रमिक की कितनी राशि दी गई है और इस संबंध में कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) अन्य अतिरिक्त एडवोकेटों को नियुक्त किये जाने का औचित्य क्या है जब सरकारी एड-वोकेट तथा अन्य अधिकारी नियुक्त किये गये है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क). से (ग).(i) उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलो के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ii) राजस्थान उच्च न्यायालय में जो मामले होते है उनकी देख-भाल सीधे ही संबंधित विभागों द्वारा की जाती है । इसलिए इस विभाग के पास उसका कोई अभिलेख नही है ।

Setting up of a Fertiliser Factory in Gajipur or Jaunpur, Uttar Pradesh

6875. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state whether Government are considering the question of setting up of the fertilizer factory in Gajipur or Jaunpur out of the four fertilizer factories already sanctioned for Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): The exact locations of the fertilizer factories proposed to be set up in U.P. State are yet to be selected.

Central help for re-modelling the Irrigation Dams in Gujarat

6876. SHRI AMAR SINH RATHAWA: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Gujarat State has requested the Centre to help the State in remodelling the irrigaion dams and roads in the light of the recent heavy